संख्या-1136/2026/741/22-2-2026-17(305)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद अली पुत्र श्री सुजात अली, निवासी जनपद-सीतापुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद अली पुत्र श्री सुजात अली, डयोढीडीह, थाना-तम्बौर, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.07.1999 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी, डंडा व गोली मारकर दुन्ना नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-653/1999 में धारा-302/149, 307/149, 148 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-04 सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 03.11.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णित करते हुये मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-24.09.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 04 माह, 19 दिन तथा 14 वर्ष, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 24.09.2025 तक 61 वर्ष, 02 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी शमशाद अली पुत्र श्री सुजात अली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.09.2025 तक बन्दी की आयु 61 वर्ष, 02 माह एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 24.09.2025 तक अपरिहार 11 वर्ष, 04 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 23 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद अली (बन्दी संख्या-48369) पुत्र श्री सुजात अली, निवासी जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1136/2026/741(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।